IN THE COURT OF SUB-JUDGE, SHAHPUR PATORI, SAMASTIPUR

T.S-87/17

AMARJEET GIRI AND OTHERS ....PLAINTIFFS

Vs.

RAM PREET RAM AND OTHERS......................................DEFENDANTS

23.09.19 उभय पक्षों ओर से हाजरी दी गई। वादी के दो आवेदन दिनांक– 06.06.18 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी., पूरक आवेदन दिनांक– 27.08.18 एवं पूरक आवेदन दिनांक– 08.04.19 पर आदेश हेतु अभिलेख प्रस्तुत हुआ।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या–1 रामप्रित राम का निधन दिनांक– 11.02.18 को हो गया है, जिनके वारिसानों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापन किया जाना आवश्यक है।प्रतिवादी की ओर से अपने प्रत्युत्तर दिनांक– 23.07.19 के द्वारा वादी के उक्त आवेदन का खण्डन किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित है। वादी की ओर से विलंब माफी हेतु आवेदन अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट दाखिल किया गया है। अतः विलंब माफ करते हुए वादी का प्रतिस्थापन आवेदन न्यायहित में 500/– रु0 खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय तद्नुसार मृत प्रतिवादी संख्या–1 रामप्रित राम के वारिसानों के नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित करें। वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समुचित पहल करें।

दिनांक– 04.11.19 वास्ते करने प्रतिस्थापित वारिसानों का नाम एवं अग्रतर कार्रवाई।

अवर न्यायाधीश

23/09/19